शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या- 26/2018/1205/38-4-18-14(विविध)/2016

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद, भदोही, मिर्जापुर, कुशीनगर, फतेहपुर, बस्ती, सीतापुर, सुल्तानपुर, गोण्डा, हरदोई, वाराणसी, बाराबंकी, चित्रकूट, श्रावस्ती, फैजाबाद, पीलीभीत, सोनभद्र, गाजीपुर, देवरिया, बलरामपुर, जौनपुर, कासगंज, महराजगंज, मुजफ्फरनगर, बलिया, अमेठी, उन्नाव, आजमगढ़, मऊ, कौशाम्बी, सिद्धार्थनगर, कानपुर देहात, लखनऊ, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, कानपुर नगर, सन्तकबीरनगर, बरेली एवं रायबरेली।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक- 10 सितम्बर, 2018**

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत भूमिहीन पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु भूमि/आवासीय पट्टा आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण भारत सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें ग्रामीण आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का प्राविधान है। शासन के संज्ञान में आया है कि 39 जनपदों में ऐसे आवासहीन लाभार्थी चिन्हित किये गये हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता में आते हैं किन्तु उनके पास आवास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। स्वाभाविक रूप से ऐसे परिवार जो आवासहीन भी हो और भूमिहीन भी हो, वह आवासीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता में आते हैं, क्योंकि ऐसे परिवार विकास के सबसे निचले पायदान पर स्थित हैं। ऐसे पात्र परिवारों को आवासीय पट्टा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में पूर्व में भी निर्देश दिये जा चुके हैं किन्तु कई जनपदों द्वारा इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गयी है।

2- भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के मार्ग निदेशिका के प्रस्तर-5.2.2 में निर्देश दिये गये हैं कि- **"भूमिहीन लाभार्थी के मामले में राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थी को सरकारी भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि (पंचायती सामान्य भूमि, सामुदायिक भूमि अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों से सम्बंधित भूमि) सहित किसी अन्य प्रकार की भूमि से जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। चयनित की गई भूमि के लिए सड़क संपर्कता और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थायी प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप दिए जाते ही भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था पूरी की जाए।"**

3- उपरोक्त से स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा पात्र आवासहीन भूमिहीन परिवारों के लिए आवासीय भूमि उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है किन्तु काफी समय व्यतीत हो

क्रमशः पृष्ठ-2....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जाने के बाद भी जनपद स्तर से ऐसे भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है, जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता श्रेणी में सम्मिलित होने के बावजूद ऐसे परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा पा रही है।

4- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न संख्यात्मक विवरण में उल्लिखित भूमिहीन परिवारों की संख्या में से अवशेष परिवार, जिन्हें आवासीय पट्टा आवंटित किया जाना है, को राजस्व विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए योजनान्तर्गत आवास हेतु पात्र भूमिहीन लाभार्थियों को तत्काल भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही कराते हुए इसकी सूचना प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे आवासहीन परिवारों को आवासीय सुविधा का लाभ दिया जा सके।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या- 26/2018/1205(1)/38-4-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3. सम्बंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. सम्बंधित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,
अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव

क्रमशः पृष्ठ-3 ....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक

आवास हेतु पात्र भूमिहीन परिवारों को आवासीय पट्टा दिये जाने का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	भूमिहीन परिवारों की संख्या	भूमिहीन परिवार जिन्हें पट्टा आवंटित किया गया	अवशेष परिवार जिन्हें पट्टा आवंटित किया जाना है।
1	2	3	4	**5**
1	इलाहाबाद	158	8	**150**
2	भदोही	114	0	**114**
3	मिर्जापुर	85	0	**85**
4	कुशीनगर	64	0	**64**
5	फतेहपुर	59	5	**54**
6	बस्ती	45	0	**45**
7	सीतापुर	56	16	**40**
8	सुल्तानपुर	40	0	**40**
9	गोण्डा	36	0	**36**
10	हरदोई	36	0	**36**
11	वाराणसी	32	0	**32**
12	बाराबंकी	77	48	**29**
13	चित्रकूट	29	4	**25**
14	श्रावस्ती	24	0	**24**
15	फैजाबाद	54	32	**22**
16	पीलीभीत	14	0	**14**
17	सोनभद्र	13	0	**13**
18	गाजीपुर	13	0	**13**
19	देवरिया	12	0	**12**
20	बलरामपुर	11	0	**11**
21	जौनपुर	11	0	**11**
22	कासगंज	10	0	**10**
23	महराजगंज	7	0	**7**
24	मुजफ्फरनगर	7	0	**7**
25	बलिया	7	0	**7**
26	अमेठी	7	0	**7**
27	उन्नाव	6	0	**6**
28	आजमगढ़	5	0	**5**
29	मऊ	5	0	**5**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

30	कौशाम्बी	4	0	**4**
31	सिद्धार्थनगर	**4**	**0**	**4**
32	कानपुर देहात	12	9	**3**
33	लखनऊ	2	0	**2**
34	अम्बेडकरनगर	2	0	**2**
35	गोरखपुर	14	13	**1**
36	कानपुर नगर	1	0	**1**
37	सन्तकबीरनगर	18	17	**1**
38	बरेली	1	0	**1**
39	रायबरेली	1	0	**1**
	योग	**1096**	**152**	**944**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।